

संचिका सं०-7 / वजट-46-40 / 2024-25 - 325(7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-10/07/2026

विषय:- प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में औरंगाबाद जिलान्तर्गत ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 9,64,00,000/- (रूपये नौ करोड़ चौसठ लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 70,00,000/- (रूपये सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

मेहलशयू

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-462(7), दिनांक-28.02.2025 द्वारा प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में औरंगाबाद जिलान्तर्गत ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 9,64,00,000/- (रूपये नौ करोड़ चौसठ लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 70,00,000/- (रूपये सत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-462(7), दिनांक-28.02.2025 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

3- इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पुंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0113 -जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210011100113 अन्तर्गत विषय कोड-53 01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना वी०टी०फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6- बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

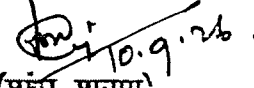
8- प्रस्ताव एव प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-7/बजट-46-40/2024-25 के पृष्ठ-...16.../टि० पर प्राप्त है।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंमु शरण)

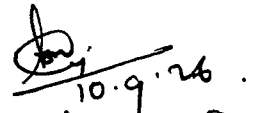
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक:- 1/बजट-46-40/2024-25-345(7A)/स्वा०, पटना, दिनांक- 10/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/क्षेत्रीय अप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमंडल, गया/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य निदेशक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.9.26

सरकार के अपर सचिव।